कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सरवन टेन्ट हाउस, 110 / 31, नेहरू नगर, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**43 / 12, 27.07.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

. सर्वश्री सरवन टेन्ट हाउस, 110 / 31, नेहरू नगर, कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णीत करने का अनुरोध किया गया :-

Is a errection of Pandal of Shamiyana or Tent including other accessories like carpet sofa, chair, table, crockery, etc. which is essential for services as a pandal or shamiyana contractor can be treated as sale as defined in U.P. Value Added Tax Act, 2008.

2. फर्म की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री अशोक अग्रवाल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि स्वयं निर्मित पण्डाल / शामियाना ग्राहकों को उपलब्ध कराने तथा ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप मेरे लेबर द्वारा सम्बन्धित स्थान पर ले जाकर लगाया जाता है। प्रभावी नियन्त्रण टेन्ट मालिक का ही रहता है। क्राकरी कुर्सी आदि अन्य सेवाएं भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। उन पर भी प्रभावी नियन्त्रण स्वयं का ही रहता है। कस्टमर को यह सामग्री अन्यथा उपयोग में लाने अथवा ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार से ग्राहकों से प्राप्त प्रतिफल उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) के अन्तर्गत सेल की परिभाषा में नहीं आता है। यह भी कहा कि टेन्ट, शामियाना व पण्डाल जहॉ लगाना होता है वहॉ स्वयं का लेबर ले जाकर लगाया जाता है और समारोह सम्पन्न हो जाने के पश्चात वहॉ से मेरी लेबर उक्त सामान उखाड़ कर वापस ले आती है। इस प्रकार से effective control कस्टमर के पास नहीं रहता है और यह संव्यवहार Transfer of the right to use के अन्तर्गत नहीं आता है। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-प्रथम, लखनऊ द्वारा सर्वश्री बेनी माधव रस्तोगी एण्ड सन्स, नादान महल रोड, लखनऊ बनाम कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के निर्णय का हवाला देते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय के पत्रांक-641, दिनांक 25.08.2012 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या में कहा गया है कि अपने नौकरों के माध्यम से टेन्ट लगवाने व देख-रेख करना मात्र व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने का क्रिया कलाप है जिसे प्रभावी नियन्त्रण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नियत स्थल की सीमा में किरायादाता व उनके आमन्त्रित व्यक्तियों द्वारा टेन्ट / कैटरिंग का सामान स्वतन्त्रता पूर्वक प्रयोग किरायादाता की ओर से किया जाता है। नियत समय के अन्दर ऐसे प्रयोग को किसी भी प्रकार से टेन्ट व्यवसायी द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है और यह किरायादाता का पूर्व करारनामे के तहत विधिक अधिकार होता है। इस प्रकार से ऐसे नियत स्थान पर परिदत्त माल का नियत

.....2

समयावधि में प्रयोग किये जाने सम्बन्धी प्रभावी नियन्त्रण किरायादाता का ही रहता है । यह भी कहा कि इस प्रकार के संव्यवहार Transfer of the right to use के अन्तर्गत आता है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) के तहत बिक्री की श्रेणी में आने के कारण करयोग्य है ।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि टेन्ट / शामियाना / पण्डाल व अस्थायी निर्माण के साथ यथा- carpet, sofa, chair, table, crockery आदि ग्राहक को प्राप्त कराये जाते हैं और ग्राहक द्वारा उसके उपभोग के प्रतिफल में किराये के रूप में भुगतान किया जाता है । ग्राहक जिस अवधि तक के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है उस अवधि में प्रभावी नियन्त्रण ग्राहक का रहता है और प्रयोग का अधिकार हस्तान्तरित हो जाता है । इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि यह वस्तुएं स्वयं के लेबर द्वारा ले जाकर लगायी जाती हैं तथा कार्य समाप्ति के पश्चात उखाड़ कर वापस लायी जाती हैं । अत: यह वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-2 (m) के अन्तर्गत गुड्स की श्रेणी में आती हैं और संव्यवहार धारा-2 (ac) IV के अन्तर्गत बिक्री की श्रेणी में आता है । तदनुसार इस प्रकार से किराये के रूप में प्राप्त की गयी प्राप्तियों पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, न्यायिक निर्णय एवं एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-द्वितीय से प्राप्त आख्या पर विचार किया गया । उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि व्यापारी प्रदर्शनी, सामाजिक समारोहों आदि के लिए टेन्ट / शाामियाना / पण्डाल अथवा अस्थायी निर्माण व उसके साथ यथा-carpet, sofa, chair, table, crockery आदि ग्राहक को निश्चित अवधि के लिए प्राप्त करायेजाते हैं और उसके प्रतिफल में किराये के रूप में धनराशि प्राप्त की जाती है । इस धनराशि पर कर की देयता की विधिक स्थिति क्या होगी, यह बिन्दु पूर्व में ही सर्वश्री लल्लू जी एण्ड संस, रामबाग, इलाहाबाद के मामले में, धारा-59 के निर्णय दिनांक 10.07.2010 से स्पष्ट किया जा चुका है पुन: अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति एसोसियेशन व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

ह0 / 19.10.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।